



प्रेषक,

राकेश कुमार यादव,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 26 फरवरी, 2026

विषय:-06-मानसिक मंदित विकलांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन योजनान्तर्गत मानक मद 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में आवश्यकता से कम प्राविधान के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3696/दि0ज0स0वि0/2025-26 दिनांक 18.12.2025 एवं पत्र संख्या-4356/निदे0दि0स0/मा0मं0आ0गृ0/2025-26 दिनांक 03.02.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-06-मानसिक मंदित विकलांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र के मानक मद-01-वेतन मद में रू0 12.36 लाख एवं 03-महंगाई भत्ता मद में रू0 7.42 लाख तथा 41-भोजन व्यय मद में रू0 21.00 लाख अर्थात् कुल रू0 40.78 लाख की हो रही सम्भावित बचतों में से अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-06-मानसिक मंदित विकलांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र के मानक मद -58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में रू0 39.15 लाख (रू0 उन्तालीस लाख पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) प्रश्नगत स्वीकृति धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।
- (3) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट ऑफिस में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।
- (5) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय करने में योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन/वित्त विभाग द्वारा निर्गत तथा वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत मद हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
- (8) वित्त विभाग के शासनादेशों एवं इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (9) जिस मद से धनराशि स्रंक्रमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
- (10) शासनादेश संख्या-57/2025/आई/933500/2025/फाईल नं.65-2002/1/2025 दिनांक 09 अप्रैल, 2025 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

2. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-06-मानसिक मंदित विकलांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा दी गयी सहमति एवं तत्क्रम में आवंटित संख्या-आर.ई.-बजट-1-355-E-4-162-X-2025-26, दिनांक 20.02.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
राकेश कुमार यादव
संयुक्त सचिव।

तदसंख्या/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/ 3।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राकेश कुमार यादव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।